Circular Eng &l

सभी को मेल द्वारा/महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 2045/34 व्यक–सा0/2017 देहरादून, दिनांक 07 सितम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता
(सिविल/NH/UEAP/UDRP/WB/PMGSY)
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषयः– शासकीय पत्राचार में पदनाम के साथ–साथ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नाम लिखा जाना।

संदर्भ :– इस कार्यालय के पत्र संख्या 636/06 व्यक–सा0/2015 दिनांक 06.04.2017, पत्र संख्या 661/06 व्यक–सा0/2015 दिनांक 10.04.2017 एवं पत्र संख्या 772/06 व्यक–सा0/2015 दिनांक 25.04.2017।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। पूर्व ही निर्दिष्ट है कि उच्चाधिकारियों को शासकीय पत्राचार करते समय अधिकारी पदनाम के साथ अपना नाम अवश्य लिखा करेगें। परन्तु अधिकांश अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर पर किये जाने वाले पत्र व्यवहार में नाम नहीं लिखा जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक ही नहीं अपितु उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी है। शासन द्वारा भी इस प्रकार की लापरवाही/कृत्य को गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में यह भी निर्दिष्ट था कि प्रत्येक कार्यालय में स्कैनर अवश्य स्थापित किये जांय तथा मेल द्वारा प्रेषित पत्रों में हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्कैन करके भेजे जांय।

अतः पुनः निर्दिष्ट किया जाता है कि आप स्वयं अपने स्तर से भी प्रभावी कार्यवाही एवं उच्च स्तर के आदेशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थों के स्तर पर यहां तक की लापरवाही परिलक्षित हुई है कि अधिकारियों द्वारा प्रेषित आरोप पत्रों, जांचों, वार्षिक गोपनीय प्रपत्रों में भी नाम/पदनाम अंकित नहीं किया जा रहा है, ना ही नाम/पदनाम की मोहर लगायी जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कृत्य जानबूझकर किया जा रहा है अथवा वे उच्चाधिकारियों के पत्रों को गम्भीरता से नहीं ले रहे है जो कि आदेशों का उल्लघंन ही नहीं अपितु उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के विपरीत है।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय)/SSO-I/II/Director Q/C, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/NH/UEAP/UDRP/WB/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/NH/UEAP/UDRP/WB/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–।/।।/वैयक्तिक सहायक/सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग